न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक- /2017-18 निगरानी

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2018/1261

दुलीचन्द पुत्र स्व. श्री काशीराम, जाति- धोबी, आयु- 57 वर्ष, व्यवसाय- खेती, निवासी- करारी, तहसील- तत्योंदा, विदिशा (म.प्र.)

......निगरानीकर्ता

श्री राजीव रघुवंशी एड. द्वारा आज दि० 19-2-2018 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6/3/18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1- **श्रीमीत नर्वदी बाई** पत्नि श्री कल्याण, आयु- 63 वर्ष, निवासी- ग्राम करारी, तहसील तत्योंदा, जिला- विदिशा (म.प्र.)

2- **श्रीमती कुसुम बाई,** पत्नि श्री गणेश राम, आयु- 60 वर्ष, निवासी-ग्राम जोहद, तहसील नटेरन, विदिशा (म.प्र.)

3- **श्रीमती मुन्नी बाई** पत्नि श्री रमेश आयु- 58 वर्ष, निवासी- ग्राम जोद तहसील नटेरन जिला विदिशा (म.प्र.)

...... प्रत्यर्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.01.2018 जो न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बासौदा, जिला विदिशा के द्वारा 03/अपील/2017-18 वउन्वान नर्वदी बाई बनाम दुलीचन्द आदि में पारित किया गया, को अपास्त किए जाने बावत्।

श्रीमान् महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

प्रकरण के तथ्य-

1- यहकि, प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार महोदय तत्यौंदा के द्वारा प्रकरण क्रमांक- 76/अ-6/2013-14 में निगरानीकर्ता के हक में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 15.06.2015 एवम्

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक/निग0/विदिशा/भू.रा./2018/1261 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06–03–18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव रघुवंशी उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत कारण सहित आदेश पारित करते हुए आवेदक का संहिता की धारा 32 एवं 151 सी.पी.सी. का अस्वीकार किया गया है । प्रथमदृष्टया उनके आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है ! अतः अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	